राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांक एफ.20 (503-VI)एनआरएचएम/एचआरडी/2017/1110 दिनांक : 3/7/17

–: आदेश :–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान (सीफू) जयुपर द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक 2038 दिनांक 28.01.2016 के क्रम में **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके)** के अन्तर्गत डीईआईसी केन्द्रों पर **Optometrist (ऑप्टोमीट्रिस्ट), Physiotherapist (फिजीयोथैरेपिस्ट)** एवं **Audiologist cum Speech Therapist (ऑडियोलोजिस्ट कम स्पीच थैरेपिस्ट)** के संविदा पद की प्रतीक्षा सूची में श्रेणीवार उपलब्ध अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित समेकित मासिक मानदेय दर पर संविदा आधार पर नियुक्त किया जाकर एतद् द्वारा निम्नानुसार पदवार पदस्थापन स्थानों पर पदस्थापित किया जाता है:–

पदनाम :– **Optometrist (ऑप्टोमीट्रिस्ट)**

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मानदेय (रू0)	पदस्थान स्थान
1	श्वेता व्यास	श्री कौशल किशोर व्यास	8000/–	जालौर
2	श्री शशीकान्त शर्मा	श्री कैलाश चन्द शर्मा	8000/–	कोटा
3	कोमल भागवत	श्री बी.आर. बैरवा	8000/–	भीलवाड़ा

पदनाम :– **Physiotherapist (फिजीयोथैरेपिस्ट)**

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मानदेय (रू0)	पदस्थान स्थान
1	श्री विकास शर्मा	श्री गोपाल चन्द शर्मा	20000/–	बीकानेर
2	श्री मुकेश कुमार मीणा	श्री किशोरी लाल मीणा	20000/–	जालौर
3	श्री सुरेन्द्र कुमार डुडी	श्री उगमाराम डुडी	20000/–	चूरू

पदनाम :– **Audiologist cum Speech Therapist (ऑडियोलोजिस्ट कम स्पीच थैरेपिस्ट)**

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मानदेय (रू0)	पदस्थान स्थान
1	श्री सुशान्त खींची	श्री सुन्दर नारायण खींची	20000/–	कोटा
2	भावना साहू	श्री बाबु लाल साहू	20000/–	जयपुर
3	नीतू भाटी	श्री नौरत मल	20000/–	जोधपुर

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिको को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश जारी दिनांक से **दिनांक 15.07.2017** तक आवश्यक रूप से अपने आवंटित पदस्थापन स्थान से सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों सहित अपनी उपस्थिति देते हुये संबंधित पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिक अपने आवंटित पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर, इसकी रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से **दिनांक 18.07.2017 को सायं 5.00** बजे तक आवश्यक रूप से ई–मेल आई.डी. co_hrd.nrhm@yahoo.com पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।

यदि कोई कार्मिक तय समय सीमा में निर्धारित स्थान पर ज्वाईन नहीं करता है तो आगे नियुक्ति के संबंध में उसका कोई अधिकार नहीं होगा एवं उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जाकर संबंधित पद को रिक्त पद मानते हुये आगामी कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध मे अंतिम निर्णय का अधिकार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को होगा।

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिको को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एवं रू 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर के साथ उपस्थिति प्रदान कर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करे। आदेश के साथ निर्धारित अनुबंध का प्रारूप, चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप एवं चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है।

उक्त संविदा कार्मिको को प्रथमतः तीन माह के लिये (प्रोबेशन अवधि) लिया जावेगा। तीन माह पश्चात संविदा कार्मिक की सेवाओं के मूल्यांकन के आधार पर उनकी सेवा अवधि को भारत सरकार से प्राप्त अनुमति अनुसार प्रथमतः सम्बन्धित वित्तीय वर्ष मे 31 मार्च (वित्तीय वर्ष अवधि) तक के लिये बढ़ाया जायेगा।

अनुबंधित संविदा कार्मिको को उक्तानुसार समेकित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई परिलाभ देय नहीं होगें। इस संबंध में आगामी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा परियोजना के अन्तर्गत जारी विशिष्ठ प्रावधानों के अध्याधीन होगी।

इस सम्बन्ध में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नव नियुक्त संविदा कार्मिको के मूल दस्तावेजो की जॉच कर नियमानुसार कार्यग्रहण करवाये जाकर अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें एवं संबंधित जिले के डीईआईसी केंद्र के लिये कार्यमुक्त करें।

(बी0एल0 कोठारी)
मिशन निदेशक, एनएचएम

क्रमांक एफ.20 (503-V.I) एनआरएचएम/एचआरडी/2017/ 1110 दिनांक : 3/7/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चि0 स्वा0 विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
3. निजी सहायक, विशिष्ठ शासन सचिव एवं अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
4. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त), एनएचएम, जयपुर।
6. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम, जयपुर।
7. परियोजना निदेशक–आरबीएसके एनएचएम, जयपुर।
8. अनुभाग अधिकारी, एचआर, एनएचएम, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समस्त संबंधित जोन, राजस्थान।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त संबंधित जिले।
11. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त संबंधित जिले।
12. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनआरएचएम, समस्त संबंधित जिले।
13. प्रभारी सर्वर रूम को वर्णित आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त संबंधितो को ई–मेंल करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक
एनएचएम